



## भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो

### प्रलिस के लयः

भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), दलली वशष पुलसि स्थापना अधनियम, 1946, प्रवर्तन नदशलालय, केंद्रीय सतरकता आयोग एवं लोकपाल ।

### मेन्स के लयः

CBI से संबद्ध चुनौतयिँ, कानून प्रवर्तन में सुधार, पुलसि सुधार ।

### चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#) एन.वी. रमना ने कहा कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) गंभीर सार्वजनिक जाँच के दायरे में आ गया है। इसके कार्यों एवं नषिकरयिता ने इसकी वशिवसनीयता पर प्रश्नचहिन लगा दया है।

- कानून प्रवर्तन एजेंसयिँ में सुधार के प्रयास के रूप में मुख्य न्यायाधीश ने एक अमबरेला, स्वतंत्र एवं स्वायत्त जाँच एजेंसी का प्रस्ताव रखा है।

### केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI):

- केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
  - अब CBI कार्मकि, लोक शकियत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मकि एवं प्रशकषण वभियग (DoPT) के प्रशासनकि नयित्रण में आती है।
- CBI को दलली वशष पुलसि स्थापना अधनियम, 1946 से जाँच संबंधी शकता प्राप्ता होती है।
- भ्रषटाचार की रोकथाम पर संथानम समर्ति (1962-1964) द्वारा CBI की स्थापना की सफिरशि की गई थी।
- CBI केंद्र सरकार की प्रमुख जाँच एजेंसी है।
  - यह [केंद्रीय सतरकता आयोग](#) एवं [लोकपाल](#) को भी सहायता प्रदान करती है।
  - यह भारत में नोडल पुलसि एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।

### CBI से संबद्ध चुनौतयिँ:

- राजनीतिक हस्तकषेप:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CBI के कार्मकलापों में अत्यधिक राजनीतिक हस्तकषेप कयि जाने के कारण इसकी आलोचना की थी और इसे "अपने स्वामी की आवाज़ में बोलने वाला पजिराबंद तोता" कहा था।
  - इसका दुरुपयोग प्रायः नविर्तमान सरकार द्वारा अपने गलत कार्यों को छुपाने, गठबंधन के सहयोगयिँ पर दबाव बनाने और राजनीतिक वरीधयिँ के उत्पीड़न के लयि कयिा जाता रहा है।
- अतवियापी एजेंसयिँ: मौजूदा समय में एक ही घटना की कई एजेंसयिँ द्वारा जाँच की जाती है, जससे अकसर सबूत कमज़ोर पड़ जाते हैं, बयानों में वरीधाभास होता है और बेगुनाहों को लंबे समय तक जेल में रखा जाता है।**
- कर्मयिँ की भारी कमी:** इसका एक मुख्य कारण सीबीआई के कार्मबल का सरकार द्वारा कुप्रबंधन है, जो अकषम और बेवजह पकषपाती भरती नीतयिँ के माध्यम से होता है, जसिका इस्तेमाल इच्छति अधिकारयिँ को लाने के लयि कयिा जाता है, जो कसंगठन की कार्म कषमता को प्रभावति करता है।
- सीमति शकतयिँ:** जाँच हेतु [CBI के सदस्योँ की शकतयिँ](#) और अधिकार कषेत्र राज्य सरकार की सहमतिके अधीन हैं, इस प्रकार **CBI द्वारा जाँच की सीमा को सीमति** कयिा जाता है।
- प्रतबिंधति पहुँच:** केंद्र सरकार के संयुक्त सचवि और उससे उच्च स्तर के कर्मचारयिँ पर जाँच या जाँच करने के लयि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रषटाचार का मुकाबला करने में एक बड़ी बाधा है।

### कानून प्रवर्तन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

- **स्वतंत्र अंबरेला इंस्टीट्यूशन का निर्माण:** CJI ने CBI, [प्रवर्तन नदिशालय](#) और गंभीर [धोखाधड़ी जाँच कार्यालय](#) जैसी वभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने का प्रस्ताव रखा है।
  - उसके संगठन का नेतृत्व किसी एक समिति द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और नष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिये, जिसके द्वारा [CBI नदिशक को नियुक्त](#) किया जाना चाहिये।
  - CJI ने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चिती करने के लिये अभियोजन और जाँच हेतु अलग एवं स्वायत्त वगि रखना एक अतिरिक्त अंतरनिहिती सुरक्षा है।
  - नियुक्ति समिति द्वारा संस्थान के प्रदर्शन की वार्षिक लेखा परीक्षा के लिये प्रस्तावति कानून में एक उचित जाँच और संतुलन का प्रावधान होगा।
- **राज्यों और केंद्र के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध:** राज्य सूची के तहत पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था एवं जाँच का बोझ मुख्य रूप से राज्य पुलिस पर है।
  - जाँच के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य **एजेंसियों को मज़बूत** किया जाना चाहिये।
  - **अम्बरेला जाँच नकियाय** हेतु प्रस्तावति केंद्रीय कानून को राज्यों द्वारा उपयुक्त रूप से दोहराया जा सकता है।
- **लैंगिक समानता लाना:** आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।
- सामाजिक वैधता समय की मांग है ताकि सामाजिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास को पुनः प्राप्त किया जा सके एवं इसे हासलि करने के लिये पहला कदम राजनीतिक कार्यपालिका के साथ गठजोड़ को तोड़ना है।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार:** लंबे समय से लंबति पुलिस सुधारों को लागू करने और लंबति मामलों से निपटने की आवश्यकता है।

**सोत: द हद्दि**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cji-on-cbi>

